न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या : 22/2021
दायर दिनांक : 17/06/2021
निर्णय दिनांक : 16/12/2025

उनवान

1 कालू पिता रूपा सालवी निवासी भूपालसागर तहसील भूपालसागर — **प्रार्थी**

बनाम

1 गांगीलाल पिता रूपा सालवी निवासी भूपालसागर
2 छगनीबाई पत्नी अमरा सालवी निवासी भूपालसागर
3 गोपाललाल पिता अमरा सालवी निवासी भूपालसागर
4 तहसीलदार भूपालसागर
5 उप पंजीयक भूपालसागर
6 पटवारी हल्का, भूपालसागर — **अप्रार्थीगण**

राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री नंदकिशोर चौहान, अधिवक्ता प्रार्थी

: : निर्णय : :

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के प्रस्तुत किया, प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार हैं :

यह कि प्रार्थी ने उक्त अनवान का वाद पत्र न्यायालय में पेश किया है जो ठोस तथ्यों पर आधारित होने से अवश्य ही डिकी होगा मगर कुलिया सुनवाई होकर निस्तारण में काफी समय लगेगा। इस कारण यह प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 से लगायत 3 की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की आराजियात स्थित है जिसके साबिक खाता संख्या 151 में दर्ज आराजी संख्या 151 में दर्ज आराजी संख्या 198 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा स्थित है जिसके हाल आराजी नं0 1226 1227 1230 208 209 214 कायम हुए जो कुलिया 7 बीघा 10 बिस्वा जिसमें मुझ प्रार्थी का 1/3 हक हिस्सा निहित होकर मैं प्रार्थी अपने हक हिस्से पर काबिज हूं। इंतकाल नंबर 386 दिनांक 23.02.2003 से प्रार्थी व अप्रार्थी के बीच राजस्व बंटवाडा हुआ जिसमें राजस्व कर्मचारियों द्वारा मनमर्जी मुताबिक बराबर हक हिस्सा कायम नही कर प्रार्थी के 0.48 है0 और अप्रार्थी संख्या 1 मांगीलाल के 0.49 है0 और अप्रार्थी संख्या 2 छगनीबाई के 0.52 है0 दर्ज की है उक्त बटवाडा राजस्व कर्मचारियेां ने अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 से मिलीभगत कर अपने नाम कर लिया है। जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 2 के नाम ज्यादा आराजियात का अंकन कर प्रार्थी के हक हिस्से को जाया किया है इसलिए अप्रार्थी के नाम अंकित ज्यादा आराजियात का जरिए इंद्राज दुरूस्ती कर प्रार्थी और अप्रार्थीगण के बीच बराबर अनुपात में अंकन किया जाना आवश्यक है। पैरा न0 2 में वर्णित आराजियात का जरिए इंतकाल नंबर 386 दिनांक 23.02.2003 से प्रार्थी और अप्रार्थीगण के बराबर बंटवाडा नही होने से जरिए इंद्राज दुरूस्ती कर बाद इंद्राज दुरूस्ती के कानूनी बंटवाडा किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थीगण मौके की स्थिति, बाडबंदी, प्रार्थी के हक हिस्से में नाजायज दखलदांजी करने और लडाई झगडा करने से प्रार्थनापत्र वर्णित आराजियात का कानूनी बंटवाडा 1/3 प्रार्थी के हक हिस्से अनुसार किया जाना आवश्यक है। पैरा न0 2 में वर्णित आराजियात में प्रार्थी का 1/3 हक हिस्सा निहित है जिस पर प्रार्थी काबिज हो काश्त कर रहा है। लेकिन अप्रार्थीगण आए दिन प्रार्थी के कब्जे में दखलदांजी करते है प्रार्थनापत्र वर्णित आराजियात को रहन बह वक्षीस वसीयत व मुंतकिल करने पर आमादा है इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 से लगायत 3 प्रार्थनापत्र वर्णित आराजियात को रहन बह वसीयत मुंतकिल नही करे, प्रार्थी को अपने हक हिस्से कब्जे से बेदखल नही करे प्रार्थी के कब्जे में दखलदांजी नही करे, प्रार्थी के हक को नष्ट नही करे। अप्रार्थी संख्या 4 व 6 राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति कायम रखे व अप्रार्थी संख्या 5 उक्त आराजियात से संबंधित दस्तावेजों का पंजीयन नही करे न तो अप्रार्थीगण स्वयं करे न ही करावें। प्रकरण मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में है व सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। दिनांक 05.042021 को प्रार्थी के हक हिस्से की आराजियात मे से बेदखल करने की कोशिश करने पर लडाई झगडा करने पर आमादा हुए जिससे उकत दिनांक 05.04.2021 से [illegible] प्रार्थना पत्र पैदा होकर निरंतर जारी है।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला-चित्तौडगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.12.22 10:13:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किए गए। अप्रार्थीगण सं. 1 2, 3 की ओर वकील श्री शंकर जाट ने अधिकार पत्र पेश किया। वकील अप्रार्थी के द्वारा जवाब प्रस्तुत नही करने एवं उपस्थित नहीं आने से दिनांक 04.09.2025 को कार्यवाही एकतरफा की गई। उपस्थित पैरोकार सरकार ने प्रकरण की जवाब की आवश्यकता नही होना बताया। वकील प्रार्थी की बहस एकतरफा सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया, प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया एवं तथ्यों पर गहनतापूर्वक विचार किया।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं वकील प्रार्थी की बहस पर मनन के पश्चात प्रार्थी सम्पूर्ण तथ्यों, बहस के आधार पर एवं प्रार्थीगण के प्रार्थना के तथ्य अनुसार प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन सावित कर पाऐ है तथा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी एवं न्यायिक दृष्टांत से प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक दोनों पक्ष राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाई रखेगें। निर्णय आज दिनांक 16.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला-चित्तौड़गढ़

(महेश गगोरिया)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.12.22 10:13:57 IST
Reason: SelfAttested